

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2018-19

दिनांक : 18.06.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषय : माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 की क्रियान्विति अन्तर्गत लाभ से शेष रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में लाभान्वित करने हेतु बजट आवंटन।


प्रसंग:-शासन उप सचिव,प्रथम का पत्रांक प.1(3) शिक्षा-1/2017 दिनांक 28.05.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 की क्रियान्विति अन्तर्गत लाभ से शेष रहे 81 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है, इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में शेष रहे विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु बजट आवंटन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को लेखामद 2202-02-109-30-01-57 विभाग की विशिष्ट सेवाएं (राज्य निधि) में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है।

क्र.स.	जि.शि.अ. मा.कार्यालय	आफिस आई.डी.	विद्यार्थियों की संख्या	आवंटित राशि एसएफ
1	जयपुर प्रथम	10196	19	285000
2	चुरू	4492	6	90000
3	कोटा	21597	8	120000
4	टोंक	16781	3	45000
5	धौलपुर	7576	4	60000
6	जोधपुर प्रथम	13122	3	45000
7	सीकर प्रथम	11216	2	30000
8	भरतपुर प्रथम	7236	4	60000
9	झुन्झुनू	5349	3	45000
10	बीकानेर	3735	4	60000
11	दौसा	8914	4	60000
12	करौली	8055	3	45000
13	बांसवाड़ा	21127	3	45000
14	चित्तौड़गढ़	21402	1	15000
15	पाली	15571	5	75000
16	हनुमानगढ़	3282	2	30000
17	डुंगरपुर	20897	1	15000
18	अजमेर प्रथम	16289	3	45000
19	अलवर प्रथम	6452	1	15000
20	भीलवाड़ा प्रथम	17971	1	15000
21	उदयपुर प्रथम	20688	1	15000
			81	1215000

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

- 1.राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत ही किया जावे।
- 2.प्रोत्साहन राशि का वितरण योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जावे।
- 3.उक्त प्रोत्साहन राशि वर्ष 2017-18 में उन विद्यार्थियों को प्रदान की जानी है जो पूर्व के वर्ष में वंचित रह गए थे।
- 4.सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-प्रथम),प्रोत्साहन राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित करने से पूर्व अन्तिम रूप से विद्यार्थियों के पात्रता सुनिश्चित कर लेवें।
- 5.राशि आहरण दिनांक 22.06.2018 तक में ही किया जाना सुनिश्चित करें।



वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 18.06.2018

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2017-18

- प्रतिलिपि :-
1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
  2. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
  3. लेखाधिकारी बतट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
  4. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
  5. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
  6. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर